



2026:AHC:18558

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या -18331 वर्ष 2025

राम देव पांडे

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव की बात सुनी।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव ने यह बयान दिया है कि उन्हें निर्देश प्राप्त हैं और वे प्रकरण पर बहस करने में सक्षम हैं तथा वे कोई हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहते हैं। याचिका का निर्णय अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। पक्षकारों की सहमति से याचिका का निर्णय नए सिरे से किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उनका चयन हुआ और उन्होंने 24.06.1967 को सिपाही पद पर कार्यभार ग्रहण किया। उन्हें वर्ष 2018 में उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एक आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया और उन्हें 07.12.1993 को निलंबित कर दिया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्हें बहाल कर दिया गया, हालांकि वे 31.07.2008 को सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन आपराधिक प्रकरण के लंबित रहने के कारण उन्हें पूरी पेंशन के बजाय अंतरिम पेंशन का भुगतान किया जा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रहा था। इसके बाद, उन्हें 15.03.2024 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक, बस्ती की न्यायालय द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 93 वर्ष 1994, 146 वर्ष 1993 और 110 वर्ष 1994 में दोषमुक्त कर दिया गया, जिसके खिलाफ अपील दायर की गई है और यह इस न्यायालय के समक्ष लंबित है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अब आपराधिक प्रकरण के लंबित रहने से संबंधित कानूनी बाधा समाप्त हो गई है, विशेष रूप से जब याचिकाकर्ता को आपराधिक प्रकरण में बरी कर दिया गया है, तो केवल दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध सरकार की अपील लंबित होने से कोई कानूनी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि अब धारा 351ए और 919-ए(3) के प्रावधान भी लाभ प्रदान करने में बाधा नहीं बनेंगे। अतः उनके अनुसार, दिनांक 05.02.2021 का पूर्ण पेंशन देने से इनकार करने वाला आदेश मान्य नहीं है।

4. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि आपराधिक प्रकरण के लंबित रहने के कारण याचिकाकर्ता को अंतरिम पेंशन दी गई है। हालांकि, उनके अनुसार, अब चूंकि याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया है और मुकदमे का फैसला उनके पक्ष में हो चुका है, भले ही इसके खिलाफ अपील लंबित हो, इसलिए इस प्रकरण पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

5. मैंने बार में की गई दलील सुनी है और अभिलेख का अध्ययन किया है।

6. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता की सेवाएं 1991 के नियमों में निहित प्रावधानों द्वारा विनियमित हैं। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की गई थी और उसे आरोपों से बरी कर दिया गया था, एक शासकीय अपील लंबित है। इस तथ्य को देखते हुए कि याचिकाकर्ता आपराधिक प्रकरण में बरी हो चुका है और शासकीय अपील लंबित है, कानून की दृष्टि से यह माना जाएगा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है।

7. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जा रहा है।

(क) वित्त नियंत्रक, पुलिस उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 05.02.2021 को पारित आदेश रद्द किया जाता है; (ख) प्रकरण को नए आदेश पारित करने के लिए प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है।

8. पूर्व टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. आज दाखिल किए गए निर्देशों को अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया गया है।

27 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।